HANS

PAGE 1 OF 2	अभियोजन साक्षी संख्याः 02

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-06 जनपद – कानपुर देहात।		
सत्र वाद संख्या- 1798/2023		
राज्य	**बनाम**	धनीराम आदि

नाम साक्षीः यशोदा उर्फ विनीता पुत्री मनीराम/पत्नी अनुज	अपराध संख्या- 197/2013
उम्रः लगभग 23 वर्ष, पेशाः गृहणी	धारा- 308, 336, 323, 504 भारतीय दण्ड संहिता
साक्षी के मायके का पताः खैरुआपुर, थाना ककवन, कानपुर नगर साक्षी के ससुराल का पताः रुपपुर, तिर्वा, जनपद कन्नौज	थाना-ककवन, कानपुर नगर।

दिनांकः-10.02.2025

मैं **साक्षीः यशोदा उर्फ विनीता पुत्री मनीराम/पत्नी अनुज, उम्रः लगभग 23 वर्ष, पेशाः गृहणी, साक्षी के मायके का पताः खैरुआपुर, थाना ककवन, कानपुर नगर, साक्षी की ससुराल का पताः रुपपुर, तिर्वा, जनपद कन्नौज** यह शपथपूर्वक बयान करती हूँ कि.....

1. शीलू उर्फ आजाद मेरे भाई हैं। दिनांक 01.11.2013 को समय करीब दस बजे अपने दरवाजे पर शीलू उर्फ आजाद मौजूद थे। मेरे पापा मनीराम व मैं बाहर दरवाजे पर मौजूद थे। कोई नहीं आया था। इस घटना के बाबत पुलिस मुझसे पूछताछ करने नहीं आयी थी। हमलोगों के साथ कोई घटना कारित नहीं हुई थी।

इस स्तर पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया जाता है। जिरह की अनुमति चाही गयी। मा० न्यायालय द्वारा जिरह की अनुमति प्रदान की गयी।

प्रतिपरीक्षा द्वारा अभियोजन

2. घटना के समय मेरी शादी नहीं हुई थी। मेरी शादी आज से लगभग दो वर्ष पूर्व हुई थी। शीलू मेरा भाई है। मनीराम मेरे पिता हैं। धनीराम, धरम व कमलेश भी मेरे पारिवारिक हैं। मुझे जानकारी नहीं है कि मेरे भाई शीलू ने इनके खिलाफ मुकदमा लिखाया था।

3. मेरे पिता मनीराम व मेरे भाई शीलू के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। धनीराम, धरम व कमलेश के ऊपर भी मुकदमा चल रहा है। मैं आज न्यायालय में बयान देने आयी हूँ। मेरे पिता व मेरे भाई को मारपीट में चोटें नहीं आयी थीं।

4. धनीराम मेरे सगे ताऊ हैं। धरम व कमलेश मेरे ताऊ के लड़के हैं।

5. मेरे पिता व भाई से धनीराम, धरम व कमलेश का समझौता हो गया है इसलिये हमलोग आपस में कोई मुकदमा नहीं लड़ना चाहते हैं।

प्रतिपरीक्षा द्वारा अभियुक्तगण

6. आज मैं अपने मायके खैरुआपुर से आयी हूँ। धनीराम, धरम व कमलेश ने दिनांक 01.11.2013 को मेरे साथ कोई मारपीट नहीं की थी। चोटें मेरे स्वयं गिर जाने से आयी थी। मेरे भाई ने गाँववालों के कहने पर यह मुकदमा लिखवा दिया था। पुलिस ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था। पुलिस घटनास्थल पर भी कभी नहीं आयी और न ही नक्शा बनाया था।

7. यह कहना सही है कि धनीराम, धरम व कमलेश ने मेरे साथ मारपीट नहीं की।

मेरे बोलने पर आज यह बयान
रीडर द्वारा टंकित किया गया। सुनकर तस्दीक किया।